

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली  
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 11/2021

जीसीएमएस नम्बर : 2021/34

प्रार्थी:-  
विकास अधिकारी, पंचायत  
समिति रानी जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. सरपंच ग्राम पंचायत रानीकलां
2. नेमाराम/दरगाजी चौधरी निवासी रानीकलां तहसील रानी

“पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994”

उपस्थिति :-

1. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री के.सी.पवार।

:- निर्णय :-

दिनांक :- 28/03/2025

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, रानीकलां द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 43 दिनांक 25.10.2019 के विरुद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। प्रार्थी वक्त बहस न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जैर निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तत्कालीन सरपंच रानीकलां ने नियम विरुद्ध जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया। नियम 157(1) के तहत वर्ष 1996 तक आबादी भूमि पर निर्मित मकान का ही इस नियम के अन्तर्गत पट्टा जारी किया जा सकता है। साथ ही जैर निगरानी भूखण्ड पर वर्तमान में कोई पक्का या कच्चा झोपडा/मकान नहीं बना हुआ है एवं उक्त भूखण्ड पर किसी का रहवास भी नहीं है। खाली पडत भूमि पर नियम विरुद्ध जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। मिसल में दर्ज आदेशिकाए कम्प्युटर से निर्धारित फॉरमेट में तैयार की है, जिसमें खाली जगह रखकर नाम भरे है। कही कॉलम रिक्त है तो कही दिनांक रिक्त है। अतः ऐसे निर्धारित फॉरमेट के आधार पर की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही विधिविरुद्ध प्रतीत होती है। जांच पत्रावलियों से भी यह स्पष्ट होता है कि सारी मिसल कार्यवाही एक ही दिन में तैयार कर आदेशिकाओं में आगे दिनांक अंकित कर खाली जगह भरी गयी। न तो मौका देखा गया और न ही आपत्ति ईशतहार पर कोई क्रमांक अंकित है। निरीक्षणकर्ता एवं बयानकर्ता की वल्लिदयती के सम्बन्ध में कोई



जानकारी अंकित नहीं है। ग्राम पंचायत रानीकलां द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में दी गई प्रक्रिया की किसी भी रूप में पालना नहीं की गई है। ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी संख्या 02 को नियम विरुद्ध जारी किया है जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा नियमानुसार जारी किया गया है, जिसमें पुरी प्रक्रिया अपनाई गई है। खसरा संख्या 1077/1 की भूमि गै.मु.आबादी है, जिसे प्रार्थी ने स्वयं भी स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत ने अपने प्रमाण पत्र में भी जैर निगरानी पट्टे की भूमि को आबादी भूमि मानी है तथा अप्रार्थी भूमिहीन व्यक्ति है। प्रार्थी ने जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में पट्टे धारक के कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं, केवल राजनीतिक द्वेष भावना से बिना विधिक आधारों के जैर निगरानी प्रस्तुत की गयी है, जिसे खारिज फरमावे।

हमने अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत, रानीकलां द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 43 दिनांक 25.10.2019 के विरुद्ध पेश की गई। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी रूप में यह जांच नहीं की कि उक्त भूमि प्रतिबंधित है या आबादी ? इस तथ्य के निर्धारण हेतु ग्राम पंचायत को पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त की जानी थी तथा इसके अतिरिक्त पंचायती राज नियमों के तहत स्वयं को भी जांच करवानी थी, जो नहीं करवाई गई। तथाकथित आबादी का नक्शा भी प्रस्तुत नहीं किया। ग्राम पंचायत रियायती दर पर/निःशुल्क भू-खण्ड आवंटन करने से पूर्व प्लान का नक्शा बनाकर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सक्षम अधिकारी से अनुमादेन प्राप्त नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त पत्रावली के संलग्न ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही दिनांक 06.07.2020 के प्रस्ताव संख्या 2 (B) में यह स्पष्ट अंकित है कि "नेमाराम/ दरगाराम चौधरी को नियम 157 के तहत पट्टा संख्या 43 दिनांक 25.10.2019 जारी किया जबकि मौके पर केवल चारदिवारी का ही कार्य हुआ है जबकि इस खाली भूमि का पट्टा डी.एल.सी. दर से या निलामी प्रक्रिया से ही जारी किया जा सकता है। ग्राम पंचायत ने केवल 200/- रुपये जर जैर निगरानी पट्टा जारी किया, जिससे ग्राम पंचायत को राजस्व हानि हुई है। अतः उक्त पट्टा नियम विरुद्ध जारी होने के कारण निरस्त करवाने की अनुशंसा की जाती है।" इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त 2020(1) DNJ (Raj.) 201 Khusal Singh Rajpurohit vs State of Rajasthan Thro' Secretary Department of Panchayati Raj, Jaipur & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 नियम 157- पट्टा रद्द किया- क्षेत्राधिकारिता के सम्बन्ध में आपत्ति खारिज की- 534.41 वर्ग गज के सम्बन्ध में 200/- रुपये के लिये जारी



*[Handwritten signature]*

किया-मौके पर केवल 10 X 8 का कमरा अस्तित्व में था- नियमों के उल्लंघन में जारी पट्टा अधिनियम की धारा 97 के अधीन रद्द किया जा सकता है- प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोजेण्ट संख्या 3 के दो जी.एल.आर. स्थापित थे- रेस्पोजेण्ट संख्या 3 व्यथित व्यक्ति है- निर्णीत, याचिका में सार नहीं है व खारिज की। न्यायिक दृष्टान्त 2017(2) DNJ (Raj.) 668 Jabbar Singh Rajput vs State of Rajasthan Thro' Secretary Department of Panchayati Raj, Jaipur & Ors. के अनुसार Rule 157 permits regularisation of old houses constructed over the abadi land of Gram panchayat and not the open plots.

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया है। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थीग द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, उनके साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत ही नहीं किया गया। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि सम्पूर्ण आदेशिका कम्प्यूटर टाईप है, जिसमें रिक्त स्थान छोड़कर आवेदक की जानकारी, वार्डपंच का नाम, दिनांक आदि का बाद में अंकन से किया गया है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा नियम 145(3) के तहत स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे 25/- रुपये जमा करवाये जाने थे, जो नहीं करवाये गये। इसके पश्चात नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु इन प्रकरणों में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। प्रकरण में आश्चर्यजनक तथ्य यह भी है कि आदेशिका संख्या 2 व 3 एक ही दिनांक 20.09.2019 को लिखी गई जबकि उपरोक्त दोनों आदेशिका में अलग अलग निर्णय पारित किये गये। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में गवाहों के बयान पूर्व से एक निर्धारित प्रारूप में प्रिंटेड है तथा बयानफार्म में गवाहों के बयान कब लिये गये, के सम्बन्ध में किसी दिनांक का अंकन नहीं है। साथ ही पंचों द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें भी मूलभूत तथ्यों का अभाव है। प्रकरण में जो आपत्ति इशतिहार जारी किया गया है, उस पर न तो डिस्पेच नम्बर अंकित है और न ही आपत्ति इशतिहार का सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट अंकित है। आपत्ति इशतिहार की पुस्त पर केवल गवाह के हस्ताक्षर है उनकी वल्लिद्यती के सम्बन्ध में कोई जानकारी अंकित नहीं है। प्रकरण में जो आपत्ति इशतिहार जारी किया गया, उसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं ? यदि आपत्ति प्राप्त हुई, तो उक्त आपत्ति का क्या निस्तारण किया गया ? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है। इससे यह स्पष्ट



*[Handwritten signature]*

4 | पंचायत निगरानी संख्या 11/2021 विकास अधिकारी पंचायत समिति रानी बनाम सरपंच ग्राम पंचायत रानीकलां वगैरा

होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही दिनांक 06.07.2020 के प्रस्ताव संख्या 2 (B) के द्वारा भी जैर निगरानी पट्टे को विधिविरुद्ध बताया है। समग्रतः सम्पूर्ण विवेचन से यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई है। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, रानीकलां द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 43 दिनांक 25.10.2019 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*(Handwritten signature)*

(डॉ. बजरंग सिंह)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली  
अति. जिला कलेक्टर पाली